

स्वच्छ भारत कोष
कमरा सं. 169 बी, नॉर्थ ब्लॉक,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली- 110001

संस्वीकृति आदेश (04/2016) 17 मार्च, 2017

संदर्भ: स्वच्छ भारत कोष न्यास की शासी परिषद् की दिनांक 22.09.2015 और 10.02.2017 को हुई क्रमशः दूसरी एवं तीसरी बैठक के कार्यवृत्त।

विषय: स्वच्छ भारत कोष से राज्य एजेंसियों को धनराशि का जारी किया जाना।

स्वच्छ भारत कोष की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् पानी व स्वच्छता सहायक संस्था, महाराष्ट्र सरकार और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, मिजोरम सरकार की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए स्वच्छ भारत कोष न्यास की शासी परिषद् की दिनांक 22.09.2015 और 10.02.2017 को हुई बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार, स्वच्छ भारत कोष से वित्तपोषण के लिए शासी परिषद् की संस्वीकृति प्रदान की जाती है:

क्रम सं.	राज्य	शौचालयों की कुल संख्या	इकाई लागत (रुपए)	कुल अपेक्षित राशि (लाख रुपए)	जारी की जाने वाली राशि (करोड़ रुपए)
1.	महाराष्ट्र	108672	12000	13040.64	52.16 (कुल अपेक्षित राशि का 40%)
2.	मिजोरम	30619	5000	1530.95	15.31
				कुल जोड़	67.47

2. संस्वीकृति की शर्तें इस प्रकार हैं:

- लागत मानक:** परियोजनाओं की लागत का निर्धारण, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही ऐसी अन्य समान स्कीमों के लिए अपनाए जा रहे प्रचलित लागत मानकों के अनुसार होगा।
- पहचान पट्ट:** स्वच्छ भारत कोष को दृश्यता प्रदान करने के लिए, जहां कहीं भी शौचालयों के लिए धन स्वच्छ भारत कोष से मुहैया कराया जा रहा है, शौचालय स्थल पर पहचान पट्ट लगाए जाएं।
- स्थल-वार सूची:** एजेंसी उन स्थलों की पूरी सूची प्रस्तुत करेगी जहां शौचालय स्वच्छ भारत कोष से वित्तपोषित किए जाने के लिए संस्वीकृत किए गए हैं।
- निरीक्षण:** अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसी, स्वच्छ भारत कोष की शासी परिषद् द्वारा नियुक्त दल द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होगी।
- पृथक लेखे:** परियोजना के लेखे पृथक रूप से रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। ये लेखे मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त दल द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- कार्य समापन:** यह कार्य अनुदान प्राप्त होने के छह माह में कार्य पूरा किया जाए।
- लेखाओं की लेखापरीक्षा और उपयोग प्रमाण-पत्र:** चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित संपरीक्षित आय एवं भुगतान लेखे और निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र कार्य पूरा होने के तीन माह के अंदर प्रस्तुत करने होंगे।

8. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट:** निर्धारित प्रपत्र में तिमाही प्रगति रिपोर्ट मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त), कमरा सं. 240, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाए।
9. **परिसंपत्ति रजिस्टर:** एजेंसी स्वच्छ भारत कोष से चालू/मरम्मत किए गए सभी शौचालयों का रिकार्ड रखेगी और ऐसी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर रखेगी।
10. **धनराशि का दुरुपयोग:** स्वच्छ भारत कोष के पास जब यह विश्वास करने का कारण हो कि संस्वीकृत राशि का उपयोग अनुमोदित प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पहले दिए गए अनुदान वसूल किए जा सकते हैं।
11. **कार्यनिष्पादन में किफायत:** संस्था/एजेंसी को अनुमोदित परियोजना के संचालन में उचित किफायत बरतनी होगी।
12. **मूल्यांकन:** स्वच्छ भारत कोष, टूटे-फूटे शौचालयों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद परियोजना का मूल्यांकन कर सकता है।
13. **रिपोर्ट:** अनुदानग्राही एजेंसी, स्वच्छ भारत कोष को यथा-निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।
14. अनुदानों के वास्तविक उपयोग की प्रस्तावित विधि अर्थात् अलग-अलग लाभार्थियों को सब्सिडी का संवितरण/सरकारी एजेंसी आदि द्वारा निष्पादित कार्य की सूचना स्वच्छ भारत कोष न्याय को दी जाए।
15. **अंतिम प्राधिकार:** क्या संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी शर्त का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन हुआ है, इस मामले में स्वच्छ भारत कोष की शासी परिषद का निर्णय अंतिम और अनुदानग्राही पर बाध्यकारी होगा।
16. कार्यक्रम का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होते ही पानी व स्वच्छता सहायक संस्था, महाराष्ट्र सरकार और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, मिजोरम सरकार राशि तत्काल जिलों को संवितरित कर देगी।
17. अनुदानग्राही द्वारा इसका उपयोग स्वच्छ भारत कोष न्याय की शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए ही किया जाएगा।

स्वच्छ भारत कोष से सहायता इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से राज्य स्तरीय एजेंसी के बैंक खाते में जारी की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बैंक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बैंक खाता धारक का नाम	बैंक का नाम और शाखा का पता	चालू/बचत खाता नाम एवं सं.	आईएफएससी कोड	एमआईसी आर कोड	राशि (करोड़ रुपए)
1.	पानी व स्वच्छता सहायक संस्था, महाराष्ट्र सरकार	भारतीय स्टेट बैंक, कॉकण भवन (नवी मुंबई), सीआईडीसीओ भवन (दक्षिण विंग), सीबीडी, बेलापुर	स्वच्छ भारत कोष (महाराष्ट्र) 35464592249	SBIN0006240	4000210 9	52.16
2.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, मिजोरम सरकार	भारतीय स्टेट बैंक, खतला शाखा, खतला, आइजॉल, मिजोरम, पिन-	36629311508	SBIN0017397	796002011	15.31

		796001					
						कुल	67.47

(विनायक टी. लिखार)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 011-2462 1305